IN THE EXCLUSIVE COURT OF POCSO, SIWAN

Anticipatory Bail Petition No. 931/2026

(Arising out of Siswan P.S. Case No. 400/2024)

1. Manish Yadav son of Late Bhuwali Yadav, resident of village- Kathtal P.S.- Chainpur, District- Siwan

..... Petitioner

Vs.

The State of Bihar.....Opposite Party.

PRESENT :- SUNIL KUMAR SINGH-II,
SPL. JUDGE, POCSO, SIWAN

आदेश

15.06.2026

1. आवेदक **मनीष यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन जो सिसवन थाना कांड सं0 400/24 के अंतर्गत धारा 137(2), 96 भा0न्या0सं0 एवं 8/12 पॉक्सो अधिनियम से संबधित है। अग्रिम जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश उपाध्याय एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

2. संक्षेप में, सूचक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया है कि दिनांक 04.12.2024 को समय 12.00 बजे दिन में सूचक की लड़की "V.G" उम्र करीब 16 वर्ष घर से आधार कार्ड सुधारवाने के लिए अपनी बड़ी बहन के साथ गई थी। जहॉ से गॉव के मनीष यादव हथियार के बल दो तीन सहयोगियों के साथ अपहरण कर लिया। इसके पूर्व भी सूचक के पुत्री का अपहरण किया था जिसके लिए सिसवन कांड सं0 248/23 दर्ज है। जिसका विचारण न्यायालय पॉक्सो में लम्बित है। उसी केस में सुलह करने का दबाव मनीष यादव दे रहा था सुलह नही करने पर फिर तुम्हारी पुत्री का अपहरण करने की धमकी दिया था। सूचक की बड़ी पुत्री वापस घर आकर बतायी। तदनुसार प्राथमिकी दर्ज की गयी।

3. अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त आवेदक निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है आवेदक के ओर से कोई नियमित या पूर्ववर्ती जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक के विरूद्व सिसवन कांड सं0 248/23 दर्ज है। सूचक के पुत्री बालिग है आवेदक और पीड़िता एक दुसरे से प्यार करते थे ओर दोनो शादी कर ली है जिससे एक बच्चा भी है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते कथन किया गया है कि आवेदक ने सूचक के नाबालिग पुत्री को दुबारा अपहरण किया है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है।

Anticipatory Bail Petition No. 931/2026

लगातार
15.06.2026

5. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी अपराध की धारा 137(2),96 भा0न्या0सं0 एवं 8/12 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने सूचक के नबालिक पुत्री उम्र 16 वर्ष को तीन सहयोगियों साथ मिलकर अपहरण कर लिया था। अभिलेख पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा निर्गत औपबंधिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध है जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 09–10–2008 अंकित है जिसके अनुसार पीड़िता घटना की तिथि को अव्यस्क है। कांड दैनिकी में अंकित किया गया है कि आवेदक के विरूद्व सिसवन थाना कांड सं0 248/23 एवं एम0 एच0 नगर हसनपुरा थाना कांड सं0 13/23 दर्ज है। प्राथमिकी में इसी पीड़िता के अपहरण करने का प्राथमिकी सिसवन थाना कांड सं0 248/23 दर्ज किया गया था। कांड दैनिकी में साक्षियों नें घटना का पूर्ण समर्थन किया है। इस प्रकार आवेदक पर सूचक के नाबालिग पुत्री को दुबारा अपहरण करने का आरोप है।

6. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, पीड़िता का बयान, उम्र एवं अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक **मनीष यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

ह0/–
(सुनील कुमार सिंह–II)
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,सीवान